राजस्व उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
0 43/17	53,188 RTA	दीगोड़ खालसा	छीपाबड़ौद

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
केसराम	बनाम	राधेश्याम

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
3.4.17	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 RTA विरुद्ध प्रार्थी वादी गण के न्याया. के पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी वादी गण को अग्रिम तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.4.17 को पेश हो।	
24.4.17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. प्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना पेश हुआ पत्रावली वादी तलबी दिनांक 25.5.17 को पेश हो।	
	पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प पचायत दीगोड़ खालसा में दिनांक 18.5.17 पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी किये जावे। राजस्व आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला-बारां	
18.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत ~~केम्प~~ न्याय अधिकारी द्वारा केम्प दीगोड़ खालसा पर आज पेश हुई प्रार्थी स्वयं उप. / वादी द्वारा केस के स्वयं उप. होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि इस पक्षकारान के मध्य प्रकरण राजीनामा हो गया है प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं प्रकरण वापस लेना चाहते हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रकरण इसी स्थल पर क्लोज किया जाता है। पत्रावली फोलस्टेप मुताबिक होकर वाद सम्बन्धित रजिस्टर से खारिज किया जावे।	

Scanned by CamScanner